न्यायालयः अपर **सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम., हसनपुर,**अमरोहा ।

उपस्थितः श्रीपाल सिंह, उ०प्र०न्यायिक सेवा

दण्डवाद सख्या– ३६४/२०१६

राज्य.....प्रति..... १.सतवीर पुत्र श्याम लाल

२. बीरबल पुत्र श्याम लाल

३.कमलवीर पुत्र सतवीर

४. जयवीर पुत्र सतवीर

निवासीगण ग्राम पतेई खादर

थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।

धारा–३२३,३२४,३२५,

५०४ भा.द.स.

थाना आदमपुर

अपराध सं. २६७/२०१२

निर्णय

प्रस्तुत अपराधिक वाद थाना आदमपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण सतवीर, बीरबल, कमलवीर व जयवीर के विरूद्ध धारा ३२३,३२४,३२५,५०४ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रेषित आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेते हुए संस्थित किया गया।

संक्षेप मे अभियोजन पक्ष का कथानक इस प्रकार है कि, वादी मुकदमा राम कुंवर द्वारा थाना आदमपुर पर एक तहरीरी सूचना इस आशय की दी गयी कि घटना की उनके गांव में चकबंदी चल रही है। वादी के पुराने चक जिसमें टयूवैल लगी है। अब गांव के सतवीर के नाम आ गया है जिसका मुकदमा चल रहा है। उसे स्टे मिला हुआ है। इस चक में उसने चरी वगैरा बो रखी थी। आज उसकी पोती गीता चरी काट कर वापस घर आ रही थी। तो सतवीर, बीरबल, जयवीर, कमलवीर उसकी पोती से कहने लगे कि जब हमारा चक लग गया है तो चरी क्यों काटी है। इसपर उसने कहा कि फसल उन्होने बोयी है इसलिए काट रहे है। इस बात पर चारों लोगों ने उसकी पोती को गाली गलौंच करनी शुरू कर दी। शोर पर वादी व उसकी पत्नी पहुंच गये मना करने पर उपरोक्त चारों ने उन्हे लात घूंसो व लाठी डंडो से मार पीट कर चोटे पहुंचायी।

वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीरी सूचना के आधार पर सम्बन्धित थाना आदमपुर पर अभियुक्तगण सतवीर, बीरबल, कमलवीर व जयवीर के विरूद्ध धारा ३२३,५०४ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत एन.सी.आर. दर्ज की गई। प्रकरण में विवेचना के दौरान चिकित्सीय

अभिलेखों के आधार पर धारा ३२४, ३२५ भारतीय दण्ड संहिता की वृद्धि की गयी तथा प्रकरण को अपराध संख्या पर दर्ज किया गया।

मामले में विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण सतवीर, बीरबल, कमलवीर व जयवीर के विरूद्ध धारा ३२३,३२४,३२५,५०४ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये, उन्होंने अपनी जमानतें कराईं और तदोपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक १४.०३.२०१६ को धारा ३२३, ३२४, ३२५, ५०४ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया।

अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्लू–१ सुखदेइ व पी.डब्लू–२ रामकुंवर को परीक्षित कराया गया है। अन्य कोई साक्षी अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित नहीं कराया गया है तथा शेष साक्षीगण को वादी मुकदमा ने अभियोजन द्वारा संस्तुत प्रार्थना पत्र पर साक्ष्य से उन्मोचित किया गया।

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा ३१३ दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज किया

गया जिसमें उन्होंने घटना को गलत बताया तथा अपनी सफाई एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य की औपचारिक प्रमाणिकता बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गई।

मैंने बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३२३, ३२४,३२५, ५०४ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है जिसे पूर्ण एवं सन्देह से परे साबित करने का भार पर अभियोजन पक्ष पर है।

अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित कराये गये साक्षी पी.डब्लू–१ श्रीमती सुखदेई के द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते हुए अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक २१.०७.२०१२ को ६.१५ बजे शाम की घटना है। उसे घटना के दिनांक को मुल्जिमान सतवीर, बीरबल, कमलवीर व जयवीर ने न तो मारा पीटा न ही गाली गलौंच की। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही

घोषित किया गया। अभियोजन द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि मैं आज अदालत के सम्मन पर गवाही देने आया हूं। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान के दबाव में आकर बयान दे रहा हूं। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने गन्दी–गन्दी गालियां देकर मारा पीटा न हो। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया। आगे साक्ष्य दिया गया है कि सड़क पर गिर जाने से चोटें आयीं थी। मुल्जिमों ने न तो मुझे गाली दी न ही मारापीटा।

पी.डब्लू.२ रामकुंवर के द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते हुए अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, ''घटना बयान की तिथि से लगभग साढ़े चार साल पहले की है। शाम के सवा छः बजे का समय था। उसकी पोती खेत से चरी काटकर ला रही थी। उसी समय मुल्जिमान सतवीर, बीरबल, कमलवीर व जयवीर ने उसकी पोती को घेर लिया और कहा कि तू चरी काट कर क्यों लायी है। इसी बात पर मुल्जिमान ने उसकी पोती को गंदी–गंदी गालियां दीं । जिसे सुनकर वह व उसकी पत्नी मौके पर पहुंच गये। उसने मुल्जिमान से कहा कि गालियां क्यों दे रहे हो। इसपर मुल्जिमान ने अपने हाथों में लिये लाठी डण्डों व छुरे से वादी व उसकी पत्नी को काफी चोटें पहुंचायी। उनके चिल्लाने पर मौके पर अफसर व छिददा व बहुत से लोग आ गये। डाक्टरी मुआयना हुआ घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा रहरा चौकी पर दर्ज करायी गयी । जिरह में इस साक्षी ने कथन किया कि हाजिर अदालत मुल्जिमान सतवीर, बीरबल, कमलवीर व जयवीर द्वारा कोई चोट नहीं पहुंचायी गयी थी तथा न ही गन्दी–गन्दी गालियां दी गयी थीं। उसने गांव वालों के कहने पर मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा लिखा दिया था। यह कहना सही है कि हमारा मुल्जिमान से समझौता हो गया है। यह कहना गलत है कि समझौता होने के कारण मैं सही बात नही बता रहा हूं। अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित कराये गये साक्षी पी.डब्लु–२ रामकुंवर ने यद्यपि अपनी मुख्य परीक्षा में तो अभियोजन के पक्ष में कथन किया है, परन्तु अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मुल्जिमान द्वारा कोई चोट नहीं पहुंचायी गयी थी तथा न ही गन्दी–गन्दी गालियां दी गयी थीं। इस प्रकार इस साक्षी के बयानों से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता। इसके अतिरिक्त साक्षी पी.डब्लू–१ श्रीमती सुखदेइ के पूर्वोक्त बयानों के पक्षद्रोही होने के कारण अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार अभियोजन की तरफ से परीक्षित कराये गये दोनों साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक

का समर्थन नहीं किया गया है। यद्यपि अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से अभियोजन अभियोजन अभिलेखों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है, किन्तु मात्र अभियोजन अभिलेखों की औपचारिक सत्यता स्वीकार कर लेने से अभियोजन कथानक साबित नहीं माना जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय की राय में अभियोजन पक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में विफल रहा है।

निष्कर्षतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण सतवीर, बीरबल, कमलवीर व जयवीर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा ३२३,३२४,३२५,५०४ भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त मामले में जमानत पर है। धारा ४३७–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में दाखिल जमानत नामें व बंध पत्र निर्णय की तिथि से ६ माह की अवधिक तक प्रभावी रहेगें। तत्पश्चात किसी प्रतिकूल आदेश के अभाव में उन्मोचित समझे जायेगें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

२४.१२.२०१६

(श्रीपाल सिंह)
अपर सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम.
हसनपुर
२४.१२.२०१६

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

२४.१२.२०१६

(श्रीपाल सिंह)
अपर सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम.
हसनपुर
२४.१२.२०१६